/ / 1 / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 70 / 2012

उनवान

1 चुन्नीलाल
2. चिन्ता,
3. संतोष पि0 हीरा समस्त जाति खटीक नि0 श्रीनगर, नसीराबाद के स्थान पर न्यायालय आदेश द्वारा भागचन्द को पक्षकार बनाया गया।
1. भागचन्द पुत्र रामदेव जाति खटीक निवासी पुलिस थाने के पास गणेशगंज, सरवाड, अजमेर।

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. सायर पत्नी गिरधारी,
2. गजानन्द,
3. शैतान,
4. कंचन,
5. सुनीता पि0 गिरधारी,
6. रामकन्या पत्नी रंगलाल,
7. रेखा,
8. कालू ना.बा.
9. पुष्पा ना.बा. पि0 रंगलाल जरियें संरक्षक माता रामकन्या, समस्त जाति खटीक श्रीनगर, नसीराबाद
10. विजय कुमारी पत्नी रामचरण,
11. मनोज पुत्र रामचरण जाति धानका नि0 श्रीनगर
12. किशोर पुत्र लखमा माली,
13. गोपाल पुत्र रूघा,
14. गोपी पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर,
15. महावीर प्रसाद पुत्र गोपाल वैष्णव नि0 श्रीनगर
16. देवकरण पुत्र औंकार गुर्जर नि0 श्रीनगर
17. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 16 अनुपस्थित, 17 जरिये राज0 परोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश   दिनांक :– 5/1/23

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से निर्णय
में अंकित तथ्यों की जॉच उपरांत नवीन निर्णय करने के लिये प्राप्त हुयी है।

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 किता 2 रकबा 1.59 में से 3/5 हिस्स को श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरा से वादी ने जरिये विकय पत्र दिनांक 17.12.21 को कय की। उक्त दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के 2/5 हिस्से के सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 9 है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के मार्फत वादी की कयशुदा आराजी के बाद शेष बचे 2/5 का कब्जा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 को सुपुर्द करते हुये प्रतिवादी संख्या 12 से 16 द्वसास आये दिन मदाखलत करवाये जाने का प्रयास किया गया। वादी द्वारा अपना 3/5 हिस्से का विभाजन करने के निवेदन करने पर भी विभाजन नही करवाया गया। प्रतिवादीगण वादी को उसकी खातेदारी आराजी से महरूम करना चाहते हैं। अतः वादी का आराजी मुतनाजा पर 3/5 हिस्से का विधिवत विभाजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। पूर्व में प्रतिदावा संख्या 15 ने जवाब पेश कर निवेदन किया था कि प्रतिवादी संख्या 15 को प्रकरण में किस कारण पक्षकार बनाया गया है यह स्पष्ट नही है। जवाबकर्ता के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न होना भी अंकित नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 15 का नाम तर्क किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 13 ने पूर्व में जवाब पेश कर निवेदन किया था कि वादीगण के पूर्वज हीरा को खसरा नम्बर 4479 रकबा 9--17--0 में से 4--17--0 भूमि की ही खातेदारी दी गयी थी। वादीगण मात्र उतनी भूमि पर ही विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है। मौके पर शेष रकबे पर प्रतिवादी का कब्जा है। वादीगण द्वारा गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुये वाद पेश किया है अतः वाद खारिज कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने पूर्व मे इकबालिया जवाब पेश किया।

वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का बेचान किये जाने के कारण वाद विचारण के दौरान भागचन्द पुत्र रामदेव द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर वादीगण के बजाय भागचन्द पुत्र रामदेव को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया।

राज0 पैरोकार ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के वर्किंग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9--17--0 में से मूल खातेदार को 4--17--0 की खातेदारी दी गयी थी। बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 पूर्ण रकबे को त्रुटिपूर्ण तरीके से खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नम्बर में 4--17--0 भूमि ही खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी। वादी मात्र 4--17--0 के 3/5 हिस्से की कय भूमि पर ही हक रखता है। शेष रकबे पर वादी का विकय पत्र त्रुटिपूर्ण होने से शून्य है। आराजी मुतनाजा बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से खातेदारी दर्ज की गयी है। शेष 2/5 हिस्सा की आराजी पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को विकय कर कब्जा संभला दिया है। अतः 4--17--0 का 2/5 हिस्सा धारा 42 राज0 काश्त0 अधि0 1955 से बाधित होने के कारण 2/5 हिस्से पर किसी भी पक्षकार का कोई हक व अधिकार नही है। बादमरत आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर खातेदारी गलत तरीके से दर्ज की गयी है। उक्त ... 0 के बाद शेष रकबा वर्किंग जमाबंदी में गैर खातादारी दर्ज था ... पुत्र देवी के वारिसो द्वारा गैर खातेदी आराजी का बेचान कर ... उक्त हस्तांतरण गैर कानूनी होने के कारण शून्य है ... आवंटन शर्तो की पालना नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गयी है। वादी का उक्त आराजी पर 3/5 हिस्सा मौके पर निर्धारित नही है। शेष 2/5 हिस्से पर खातेदारों का कोई हक व अधिकार नही है। प्रकरण में वंर्किग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9–18–0 हीरा पुत्र देवी के गैर खातेदारी दर्ज था। जिसमें से नामान्तकरण संख्या 417 से 4–17–0 भूमि ही खातेदारी दी गयी शेष 5–1–0 भूमि गैर खातेदारी ही रही थी। किन्तु हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 पूर्ण रकबा बंदोबस्त विभाग द्वारा खातेदारी दर्ज कर दिया पूर्व खातेदार गिरधारी व रंगलाल द्वारा अपना हिस्सा अनुसूचित जन जाति को विक्रय कर दिया जो धारा 42 से बाधित होने के कारण गिरधारी व रंगलाल का हिस्से पर धारा 175 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के प्राधान के तहत उनका 2/5 हिस्सा सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रतिदावा पेश किया जा रहा है। विक्रय व कब्जे के संबध में दस्तावेज पत्रावली में शामिल है। मूल खातेदार द्वारा 5–1–0 भूमि भी बेचान कर दी गयी है जबकि उक्त आराजी की खातेदारी अधिकार उन्हे या उनके पूर्वज को प्राप्त नही थे। अतः खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 में से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे। तथा शेष आराजी के 2/5 हिस्से पर धारा 175 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत सिवायचक करने की कार्यवाही करें। उक्तानुसार प्रतिदावा स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रतिदावा नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिदावा प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को जरिये नोटिस पुनः तलब किया गया। बावजूद तामीली अनुपथित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा पर वादी 3/5 हिस्से पर विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है ?

   –– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9–17–0 में से 4–17–0 पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये इसलिये आराजी मुतनाजा की शेष भूमि सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा ?

   –– राज0 पैरोकार

3. आया आराजी मुतनाजा में से 4–17–0 भूमि का 2/5 हिस्से का विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से बाधित होने के कारण 2/5 हिस्सा धारा 175 के तहत सिवायचक दर्ज किया जावे ?

   –– राज0 पैरोकार

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन मे वादी भागचन्द के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख पेश किये।

माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना मे आराजी मुतनाजा की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार नसीराबाद से तलब की गयी।

राज0 पैरोकार ने जाहिर कि[illegible] सिद्व करे एव साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है

––4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :—

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9—17—0 व 4479 मिन रकबा 0—2—0 हीरा पुत्र देवी कौम खटीक के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 1236 दिनांक 29.5.92 से वंकिंग खसरा नम्बर 4479 मिन रकबा 0—2—0 पर हीरा पुत्र देवी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 417 पर वंकिंग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9—17—0 पर गैर खातेदारी से खातेदारी का भरा गया। किन्तु उक्त नामान्तकरण में 4—17—0 भूमि पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये। शेष 5—0—0 भूमि को आवंटित नही माना गया। वंकिंग जमाबंदी में भी 9—17—0 में से 4—17—0 भूमि पर ही खातेदारी दिये जाने का नोट अंकित है। हाल जमाबंदी में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 बने है जो प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के नाम तथा पूर्व वादी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी संख्या 1 के नाम वादी संख्या 2 व 3 ने हक त्याग कर दिया तथा वादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का बैचान वादी भागचन्द को को दिये जाने से राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का 3/5 हिस्सा वादी भागचन्द के नाम दर्ज है। वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हीरा पुत्र देवी के वारिस है। वादी के नाम वर्तमान में 1.59 रकबा दर्ज है। जबकि हीरा पुत्र देवी को 4—19—0 भूमि की ही खातेदारी दी गयी थी। शेष 5—0—0 भूमि की खातेदारी वादीगण अथवा उसके पूर्वज को नही दी गयी थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार द्वारा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा तलब मौका रिपार्ट से भी उक्त तथ्य की ताईद होती है। वादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेज भी पेश नही किये है जिसके अनुसार सिद्व होता हो कि उनके पूर्वज को पूर्ण रकबा आवंटित हुआ हो अथवा पूर्ण रकबे के खातेदारी अधिकार दिये गये हो। मौका रिपोर्ट अनुसार भी वादी भागचन्द का कब्जा लगभग 3—0—0 भूमि पर ही है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्तियों के मकान व बाडे बने हुये है। इससे सिद्व होता है कि वादी भागचन्द अथवा पूर्व वादीगण का 4—19—0 भूमि के 3/5 हिस्से पर ही हक व अधिकार निहित था। वादीगण द्वारा 1.59 रकबा भागचन्द को बैचान किया गया वह गलत व त्रुटिपूर्ण है। पूर्व वादीगण वर्तमान वादी भागचन्द को 4—19—0 का 3/5 हिस्सा ही विकय करने के अधिकारी है। अतः वादी आराजी मुतनाजा में से 4—19—0 भूमि के 3/5 हिस्से पर ही विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से बहक वाद निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

दस्तावेज अनुसार ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9—17—0 व 4479 मिन रकबा 0—2—0 हीरा पुत्र देवी कौम खटीक के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 1236 दिनांक 29.5.92 से वंकिंग खसरा नम्बर 4479 मिन रकबा 0—2—0 पर हीरा पुत्र देवी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 417 पर वंकिंग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9—17—0 पर गैर खातेदारी से खातेदारी का भरा गया। किन्तु उक्त नामान्तकरण में 4—17—0 भूमि पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये। शेष 5—0—0 भूमि को आवंटित नही माना गया। वंकिंग जमाबंदी में भी 9—17—0 में से 4—17—0 भूमि पर ही खातेदारी दिये जाने का नोट अंकित है। हाल जमाबंदी में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 बने है जो प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के नाम [illegible] 3 के नाम खातेदारी दर्ज थी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के [illegible] रकबा 1.59 का हीरा पुत्र देवी के वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज कर [illegible] पूर्वज को आवंटित नही हुआ था ना ही उक्त [illegible] हीरा पुत्र देवी अथवा उसके वारिसो को दिये गये थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार द्वारा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा तलब मौका रिपार्ट से भी उक्त तथ्य की ताईद होती है। वादीगण ने ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कोई दस्तावेज भी पेश नही किये है जिसके अनुसार सिद्व होता हो कि उनके पूर्वज को पूर्ण रकबा आवंटित हुआ हो अथवा पूर्ण रकबे के खातेदारी अधिकार दिये गये हो। मौका रिपोर्ट अनुसार भी वादी भागचन्द का कब्जा लगभग 3–0–0 भूमि पर ही है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्तियों के मकान व बाडे बने हुये है। इससे सिद्व होता है कि हीरा पुत्र देवी को आराजी मुतनाजा का 4–19–0 भूमि ही आवंटित हुयी थी। शेष 5–0–0 भूमि जो कि गैर खातेदारी थी का बैचान भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के वारिसो द्वारा अन्यत्र जरिये पंजीबद्व कर दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि गैर खातेदारी आराजी का बैचान गलत तरीके से किया गया। आवंटी तथा उसके वारिसों द्वारा आवटन शर्तो की पालना नही कर गैर खातेदारी भूमि का बैचान कर कब्जा भी केता को सौप दिया है। अतः उक्त 5–0–0 भूमि पर वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का कोई हक व अधिकार नही है। उसी के अनुरूप हाल राजस्व अभिलेख में 4–19–0 भूमि ही बंदोबस्त विभाग को खातेदारी दी जानी थी। हाल राजस्व अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, मौका रिपोर्ट अनुसार भी 5–0–0 भूमि पुनः सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः तनकी संख्या 2 बहक राज0 पैरोकार सिद्व होती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व अभिलेख त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि वादीगण/पूर्वज के नाम श्रीनगर के वंर्किग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9–17–0 व 4479 मिन रकबा 0–2–0 हीरा पुत्र देवी कौम खटीक के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 1236 दिनांक 29.5.92 से वंर्किग खसरा नम्बर 4479 मिन रकबा 0–2–0 पर हीरा पुत्र देवी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 417 पर वंर्किग खसरा नम्बर 4479 रकबा 9–17–0 पर गैर खातेदारी से खातेदारी का भरा गया। किन्तु उक्त नामान्तकरण में 4–17–0 भूमि पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये। शेष 5–0–0 भूमि को आवंटित नही माना गया। वंर्किग जमाबदी में भी 9–17–0 में से 4–17–0 भूमि पर ही खातेदारी दिये जाने का नोट अंकित है। मूल आवंटी हीरा पुत्र देवी के वारिस 3 पुत्र व दो पुत्री है। जिसमें से गिरधारी, रंगलाल पि0 हीरा ने अपना हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 17.1.87 को प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया तथा कब्जा भी संभला दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 1091/20.8.87 केता के नाम तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में दर्ज किया गया। केता द्वारा उक्त आराजी 9–17–0 में से 3084.20 व0मी0 भूमि आवासीय रूपान्तरण करवायी जो नामान्तकरण संख्या 151 दी दिनांक 3.10.06 से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुयी केता प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण भी लिया गया। किन्तु आराजी मुतनाजा हीरा पुत्र देवी जाति खटीक व उसके बाद उसके वारिसो के नाम दर्ज हुयी जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 10 अनुसूचित जन जाति की सदस्य है। उक्त विक्रय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित है। ऐसे बैचान होने पर व कब्जा स्थानातरित होने पर तहसीलदार नसीराबाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के लिये वाद पेश कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 का उल्लघंन हुआ है। तहसीलदार न[illegible] 75 के तहत सिवायचक दर्ज करने हेतु प्रतिदावा पेश किया है। वादी द्वारा उ[illegible] का जवाब व खण्डन पेश नही किया है। प्रतिवादीगण भी प्रतिदा[illegible] त रहे है। हीरा पुत्र देवी के प्रत्येक वारिस का उक्त [illegible] था। हीरा के दो पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रगलाल व गिरधारी ने 2/5 हिस्से का बैचान कर दिया है। जिस कारण उक्त आराजी का 2/5 हिस्सा धारा 42 से बाधित होने के कारण सिवायचक दर्ज किया जा उचित है। विक्रेता द्वारा प्रतिफल राशि प्रापत कर ली गयी है अतः उक्त आराजी पर उनके खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन अनुसार हीरा पुत्र देवी को 4–19–0 भूमि पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये थे। शेष 5–0–0 भूमि हीरा पुत्र देवी को आवंटित होने अथवा खातेदारी मिलने का कोई दस्तावेज पत्रावली में नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार भी कब्जा न्य व्यक्तियों का हो चुका है। मूल आवंटी अथवा उसके वारिसों का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नही है। हीरा पुत्र देवी के समस्त वारिसान द्वारा पूर्ण रकबे का बैचान किया जा चुका है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी आदेश नन्दू बाई बनाम राज0 सरकार आर.आर.टी. 2021 पेज 845–848, आर.आर.टी. 2019 पेज 1063–1065 फकीर सिंह बनाम राज0 सरकार, व अन्य आदेश अनुसार "When land is transferred by person of scheduled caste to person of other cast in such a case government is entitled of taking possession of the land"

"Sale of land of person of scheduled caste to person of non scheduled caste is illegal" धारा 42 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हितो की रक्षा के लिये बनायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लघंन होने के कारण उक्त आराजी के 2/5 हिस्से का बैचान गलत व त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अतः तनकी संख्या 3 बहक राज0 पैरोकार निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद का प्रतिदावा **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 0.474 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.096 को सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। तथा भूमि को कब्जा राज लिया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

उनवान

चुन्नीलाल अनाम सायर वगै0

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 70/2012
पेश करने की दिनांक – 12.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक शांकत प्रकाश शर्मा मुद्दई, राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.57 व 4262 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **'आंशिक स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबद का प्रतिदावा **''स्वीकार''** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 0.474 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 4262 रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 4254/7331 रकबा 1.096 को सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। तथा भूमि को कब्जा राज लिया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 5 माह 01 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद